तुमने ग़ैर-सुन्नत तरीक़े से तलाक़ दी और ग़ैर-सुन्नत तरीक़े से लौटाया। उसे तलाक़ देते समय गवाह बनाओ और लौटाते समय गवाह बनाओ तथा ऐसा काम दोबारा न करो।

इमरान बिन हुसैन का वर्णन है कि उनसे एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया, जो अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे और फिर उससे संभोग कर ले और उसे तलाक़ देते समय और लौटाते समय गवाह न बनाए, तो उन्होंने कहाः तुमने ग़ैर-सुन्नत तरीक़े से तलाक़ दी और ग़ैर-सुन्नत तरीक़े से लौटाया। उसे तलाक़ देते समय गवाह बनाओ और लौटाते समय गवाह बनाओ तथा ऐसा काम दोबारा न करो।
[सह़ीह़] [इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है । - इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।]

http://www.sunnah.global/hadeeth/hi/show/58149